माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चंद्र (से0नि0), अध्यक्ष, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति की अध्यक्षता में दिनांक–24.08.2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1. श्री आर0के0 महाजन, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग–सह–सचिव बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति
2. डॉ0 विजय प्रकाश सिंह, भारतीय चिकित्सा परिषद् के मनोनीत सदस्य
3. श्री आशीष रोहतगी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट मनोनीत सदस्य

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1) पिछली बैठक के कार्यवाही की सम्पुष्टि की गयी।

2) बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति में अब तक हुए व्यय को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

3) राज्य शिक्षण शुल्क संरचना का प्रारुप बनाने के लिए चाटर्ड एकाउन्टेन्ट को प्राधिकृत करते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित NRI सीटों को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया। (अनुपालन– चाटर्ड एकाउन्टेन्ट)

4) मान्यता प्राप्त तीन निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चार दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों से 10 सितम्बर 2017 तक Capital Expenditure, Recurring & Non Recurring Expenditure की सूचना संस्थानों से प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए विहित प्रपत्र बनाया जाय। (अनुपालन– चाटर्ड एकाउन्टेन्ट)

5) सात राज्यों यथा– उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़िसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं मध्य प्रदेश से उनके राज्य की निजी चिकित्सा एवं दंत महाविधालयों में निर्धारित शिक्षण शुल्क संरचना प्राप्त किया जाए। (अनुपालन– चाटर्ड एकाउन्टेन्ट)

6) Internet की सुविधा उपलब्ध कराने, बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति का अपना Web Site बनाने एवं Computer with printer आदि की व्यवस्था आदि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया, जिसमें होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति द्वारा की जायेगी।

(अनुपालन– प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति/
उप निदेशक चिकित्सा शिक्षा–सह–प्रभारी पदाधिकारी, शिक्षण शुल्क)

7) बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति के कार्यालय के सुचारु रुप से संचालन हेतु संविदा पर एक कार्यालय प्रबंधक एवं एक कार्यालय सहायक रखने का निर्णय लिया गया। इनके मानदेय का भुगतान बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति को प्राप्त आवंटन से कराने का निर्णय लिया गया।

8) डा0 राकेश वर्मा, प्राचार्य, पटना विधि महाविद्यालय, पटना को सदस्य मनोनीत किया गया।

9) बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति की अगली बैठक दिनांक 16.09.2017 के पूर्वाह्न 11:00 बजे निर्धारित करते हुए बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य —सह— सचिव,
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

(श्री अखिलेश चन्द्र)
अध्यक्ष,
बिहार शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक— 19   पटना, दिनांक— 25/08/2017

प्रतिलिपि :— सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)
—सह—
प्रभारी पदाधिकारी, शिक्षण शुल्क समिति